41–उत्तराखण्ड सचिवालय

उत्तराखण्ड सचिवालय संघ द्वारा अपने पत्रांक 82/उ0स0स0/2016 दिनांक 15.06.2016 द्वारा सचिवालय के विभिन्न संवर्गों/प्रवर्गों में वेतन परिलब्धियों में हो रही विसंगति/असमानता से सम्बन्धित बिन्दुओं पर अपना प्रत्यावेदन दिया गया है।

1. अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव पदधारकों को दिनांक 01.01.2006 से ग्रेड वेतन 4800 का वास्तविक लाभ अनुमन्य किया जाना।
2. समीक्षा अधिकारी/अपर निजी सचिव पदधारकों को केंद्र सरकार के समानता के आधार पर दिनांक 01.01.2006 से अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 4600 का लाभ पूर्व वेतनमान रू0 7450–11500 की फिटमेन्ट तालिका के आधार पर अनुमन्य किया जाना।
3. सहायक समीक्षा अधिकारियों को पूर्व में उच्चीकृत ग्रेड वेतन 4200 का समस्त लाभ दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर उक्त तिथि से ही अनुमन्य कराया जाना।
4. सचिवालय में कार्यरत कम्प्यूटर सहायकों को अनुमन्य ग्रेड वेतन 2400 का समस्त लाभ सहायक समीक्षा अधिकारियों के ग्रेड वेतन उच्चीकरण की पूर्वगामी तिथि से अनुमन्य किया जाना।

उत्तराखण्ड सचिवालय संघ द्वारा उपरोक्त बिन्दु 1 से 4 तक की मांग का अवलोकन किया गया। उपरोक्त समस्त प्रकरण वेतन विसंगति के अंतर्गत नहीं आते हैं, अपितु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के आधार पर अनुमन्य किये गये वास्तविक लाभों को पूर्व की तिथि 01.01.2006 से दिये जाने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 1–1–2006 से छठे वेतनमान की संस्तुतियां लागू होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न संवर्गों के वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन को उच्चीकृत किया गया है। उक्त प्रकरण वेतन विसंगति के नही हैं अतः वेतन समिति के विचार क्षेत्र में नहीं है।

5. उ0प्र0 सचिवालय के भांति सचिवालय परिचारकों को ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड वेतन रू0 4200 का लाभ दिया जाना।

संघ द्वारा अपने मांग में यह उल्लेख किया गया है कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त श्रेणी 'घ' के पदों को मृत संवर्ग घोषित करते हुए यह संस्तुति की गई थी कि उक्त पदों पर कार्यरत पदधारकों को श्रेणी 'ग' में समाहित किया जायेगा तथा वेतनमान 2650–4000 एवं 2750–4400 में कार्यरत पदधारकों को नवीन वेतन संरचना में दिनांक 01.01.2006 से ग्रेड वेतन 1900 का लाभ दिया जायेगा। संघ द्वारा अपने मांग में यह अवगत कराया है कि सचिवालय परिचारकों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 14 अगस्त, 2015 द्वारा दिनांक 01.01.2006 से ग्रेड वेतन 1900 की अनुमन्यता प्रदान करने के आशय से ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड वेतन 4200 की अनुमन्यता प्रदान की गई है। उक्त शासनादेश में बिन्दु संख्या 02 पर निम्न उल्लेख है:– 'उत्तर प्रदेश सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के ऐसे पद जो पूर्व वेतनमान 2160–3540, 2650–4000 तथा 2750–4400 में थे और जिन पर चतुर्थ श्रेणी के निम्नतम पद से कतिपय शर्तों के अधीन पदोन्नत की व्यवस्था थी, उन पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन

बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800 के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900 विभागीय शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से अनुमन्य कराया जाये। उत्तर प्रदेश के शासनादेश से स्पष्ट है कि चतुर्थ श्रेणी के ऐसे पदधारक जिनके विभाग में चतुर्थ श्रेणी के निम्नतम पद (अर्थात 21600–3540) से कतिपय शर्तों के अधीन पदोन्नत की व्यवस्था थी उन्हीं को ग्रेड वेतन 1800 के स्थान पर ग्रेड वेतन 1900 किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण वेतन विसंगति का न होकर ग्रेड वेतन उच्चीकरण की मांग का है। अन्य राज्यों से वेतन की तुलना का सिद्धान्त मान्य नहीं है। समिति के संज्ञान में आया है कि कतिपय मामलों में उत्तराखण्ड में भी उत्तर प्रदेश के आधार पर वेतन उच्चीकरण अनुमन्य किये गये हैं। अतः प्रशासनिक नीतिगत निर्णय लेते हुए विभिन्न समस्त पहलुओं व पड़ने वाले प्रभावों का सम्यक परीक्षण करते हुए राज्य सरकार प्रकरण पर यथोचित विचार कर सकती है।

6. राज्य सम्पत्ति वाहन चालकों को सचिवालय सेवा संवर्ग हेतु स्थापित वेतनमान की समानता/समकक्षता का लाभ प्रदान करते हुए तदानुसार प्रारम्भिक स्तर पर ग्रेड वेतन 2400 से अग्रेतर ग्रेड वेतन की अनुमन्यता।

संघ द्वारा अपनी मांग में यह उल्लेख किया गया है कि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के समय से ही राज्य सम्पत्ति विभाग को सचिवालय का अभिन्न अंग माना गया है तथा वेतन परिलब्धियां यथा सचिवालय भत्ता आदि भी सचिवालय सेवा संवर्ग की भांति एक समान रूप से राज्य सम्पत्ति वाहन चालकों एवं कार्मिकों को समय–समय पर प्राप्त होती रही है। परन्तु वर्तमान समय में जो वेतनमान अनुमन्य है वह फील्ड स्तर के कार्मिकों की भांति दिया जा रहा है। राज्य सचिवालय सेवा संवर्ग में श्रेणी–ग (कम्प्यूटर सहायक) के पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन रू0 2400 नियत है जिसके सापेक्ष राज्य सम्पत्ति वाहन चालक जो कि श्रेणी–ग का पद है, की पैरिटी रखी जानी थी परन्तु इसके विपरीत राज्य सम्पत्ति वाहन चालकों को फील्ड स्तर के श्रेणी–ग के कार्मिकों की भांति प्रारम्भिक स्तर ग्रेड वेतन 2000 अनुमन्य किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में राज्य सम्पत्ति के वाहन चालक संवर्ग की समता सचिवालय के कम्प्यूटर सहायक सवंर्ग से रहने का कोई पुष्ट अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वाहन चालक संवर्ग को यद्यपि समूह "ग" की श्रेणी में रखा गया है पर समता के सिद्वान्त पर शैक्षिक अर्हता, भर्ती की प्रकिया, भर्ती का स्रोत एवं कार्य व दउयित्वों के आधार पर समूह "ग" के किसी भी संवर्ग से इसकी समता स्थापित नहीं रही है। अतः प्रकरण विचारणीय नहीं है।

42–न्याय विभाग

संवर्ग : विभिन्न संवर्ग

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के पत्र संख्या 185/XXVII(7)/50(16)/2016 दिनांक 26 अगस्त, 2016 के क्रमांक 8 पर न्याय विभाग से निम्नलिखित प्रकरण वेतन विसंगति के सम्बन्ध में संदर्भित हुए हैं–

क्रम संख्या	पदनाम	वर्तमान वेतनमान/ ग्रेड वेतन	प्रस्तावित वेतनमान/ ग्रेड वेतन
1.	प्रधान निजी सचिव एवं संयुक्त प्रमुख निजी सचिव	15600–39100/6600	15600–39100/7600
2.	अनुभाग अधिकारी	9300–34800/4800	15600–39100/5400
3.	पीठ सचिव श्रेणी–2	9300–34800/4800	15600–39100/5400
4.	लेखाकार	9300–34800/4200	15600–39100/4600
5.	स्हायक लेखाकार	5200–20200/2400	5200–20200/2800
6.	पुस्तकालयाध्यक्ष	9300–34800/4200	15600–39100/5400
7.	केयर टेकर	5200–20200/2400	9300–34800/4200

निजी सचिव संवर्ग अंतर्गत प्रधान निजी सचिव एवं संयुक्त प्रमुख निजी सचिव का ग्रेड वेतन 6600 से 7600 किये जाने की मांग के सम्बन्ध में कहा गया है कि दिनांक 01.01.2006 से निजी सचिव, प्रधान निजी सचिव, संयुक्त प्रमुख निजी सचिव के पदों के लिए एक ही वेतनमान 15600–39100 ग्रेड वेतन 6600 है व प्रधान निजी सचिव/संयुक्त प्रमुख निजी सचिव के पद निजी सचिव पदों द्वारा भरा जाता है।

अनुभाग अधिकारी का वेतन 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800 से 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 किये जाने की मांग के सम्बन्ध में कहा है कि अनुभाग अधिकारी पद पर प्रोन्नति हेतु पोषक पद समीक्षा अधिकारी का है जिसका वेतनमान भी 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800 होना इंगित किया गया है। इन दोनों पदों का वेतनमान भी समान होने के कारण वेतन विसंगति होना बताया है। यह भी कहा है कि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की पैरिटी उत्तराखण्ड सचिवालय से रही है और सचिवालय एवं अन्य पैरिटी वाले विभागों में अनुभाग अधिकारी का वेतनमान 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 होना इंगित किया गया है।

पीठ सचिव संवर्ग में पीठ सचिव श्रेणी–2 वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800 को 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 किये जाने की मांग के सम्बन्ध में कहा है कि पीठ सचिव श्रेणी–2 के पद का पोषक संवर्ग समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी पद है और कि

पीठ सचिव श्रेणी–2 का प्रारम्भिक वेतनमान तथा समीक्षा अधिकारी का वेतनमान समान (ग्रेड वेतन 4800) होने से वेतन विसंगति है।

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली के लेखाकार तथा सहायक लेखाकार पद के वेतनमान क्रमशः 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 व 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400 को उच्चीकृत कर क्रमश वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 एवं 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 करने के सम्बन्ध में कहा गया है कि शासनादेश संख्या 419/XXVII(3)/2005 दिनांक 13.09.2005 द्वारा क्रमशः 5500–9000 (पुनरीक्षित वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600) तथा 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800) किया गया है। यह भी इंगित किया गया है कि अकादमी के शासी/परिषद की बैठक दिनांक 21.3.2015/17.9.2015 में भी प्रस्ताव पारित है।

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली के पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 से 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 किये जाने के सम्बन्ध में कहा है कि वेतनमान 6500–10500 में स्वीकृति है। यह भी कहा है कि शासनादेश संख्या 483/ XXVII (7)/2010 दिनांक 12.03.2010 के माध्यम यह वेतनमान उच्चीकृत करते हुए रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 किया जा चुका है परन्तु अकादमी में पुस्तकालयाध्यक्ष का ग्रेड वेतन 4200 ही होना कहा है। अकादमी के शासी परिषद की बैठक दिनांक 21.3.2015/17.9.2015 में इस पद का वेतनमान 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 पुनरीक्षित किये जाने की संस्तुति की जाना इंगित किया गया है।

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली में समूह 'ग' अंतर्गत 'केयर टेकर' पद का वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400 से 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 किये जाने के सम्बन्ध में कहा है कि अकादमी की शासी परिषद की बैठक दिनांक 21.3.2015/17.9.2015 में प्रस्ताव पारित है।

समिति द्वारा इन प्रकरणों पर विचार किया गया। इन प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रारूप पर दी गई सूचना के अतिरिक्त सभी विवरण/अभिलेख उपलब्ध नहीं है और राज्य सरकार का मत भी नहीं है। एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना का सिद्धान्त मान्य नहीं है, अतः इस आधार पर प्रकरण विचारणीय नहीं है। मा0 उच्च न्यायालय की पैरिटी उत्तराखण्ड सचिवालय से होने एवं/अथवा पोषक पद/संवर्ग व प्रोन्नति पद/संवर्ग का वेतनमान समान हो जाने के इंगित आधार तर्क पूर्ण प्रतीत होते हैं जिस सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विवरण व अभिलेख प्राप्त कर सभी पहलुओं व पड़ने वाले प्रभावों का सम्यक दृष्टि से परीक्षण करते हुए मा0 उच्च न्यायालय से सम्बन्धित इंगित प्रकरणों के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली में लेखाकार व सहायक लेखाकार के पदों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 419/(3)/2005 दिनांक 13.09.2015 अनुसार परीक्षणोपरान्त वेतनमान संशोधित किये जा सकते हैं जिसके अंतर्गत लेखाकार का पद ग्रेड वेतन 4200 (9300–34800) व सहायक लेखाकार का पद ग्रेड वेतन 2800 (5200–20200) अनुमन्य हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष पद के सम्बन्ध में ग्रेड वेतन 6500–10500 के सम्बन्ध में शासनादेशानुसार वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 अनुमन्य किये जाने पर परीक्षणोपरान्त विचार किया जा सकता है जिस समय पुस्तकालय की श्रेणी व तदानुसार पद हेतु निर्धारित वेतनमान के बिन्दु को भी देखा जाना चाहिए। अकादमी के केयर टेकर पद के सम्बन्ध में कोई विवरण/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये है और कोई ठोस आधार भी इंगित नहीं किया गया है, अतः समिति द्वारा यह प्रकरण विचारणीय नहीं है।

43–शहरी विकास विभाग

संवर्ग : केंद्रीयत कर एवं राजस्व अधीक्षक

वित्त विभाग के पत्र संख्या 164/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 02 अगस्त, 2016 के क्रमांक 8 पर कर एवं राजस्व अधीक्षक का ग्रेड वेतन 4200 से 4600 किये जाने का प्रकरण संदिर्भत किया गया है। **उत्तराखण्ड शहरी विकास केंद्रीयत (राजस्व) सेवा संघ** द्वारा उत्तर प्रदेश के समान केंद्रीयत कर एवं राजस्व अधीक्षक का ग्रेड वेतन 4200 से उच्चीकृत कर 4600 किये जाने की मांग की गई है। अन्य संवर्गों से निम्नानुसार तुलना भी प्रस्तुत की गई है:–

क्र.सं.	पदनाम	सेवा का नाम	वेतनमान
1.	कर एवं राजस्व अधीक्षक	पालिका राजस्व सेवा	5200–20200 ग्रेड वेतन 4200
2.	अवर अभियन्ता	पालिका केन्द्रीयत सेवा	9300–34800 ग्रेड वेतन 4600
3.	नायब तहसीलदार	राजस्व विभाग	9300–34800 ग्रेड वेतन 4600
4.	मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड–1	मनोरंजन कर विभाग	9300–34800 ग्रेड वेतन 4600
5.	वरिष्ठ विपणन निरीक्षक	विपणन विभाग	9300–34800 ग्रेड वेतन 4600

उल्लेखनीय है कि समता समिति की संस्तुतियां लागू होने के उपरान्त विभिन्न संवर्गों की इन्टर–से–पैरिटी का सिद्धान्त समाप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त राज्य में केंद्र सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य सरकारों से तुलना का भी कोई सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं है। अतः समिति प्रकरण का कोई औचित्य नहीं पाती। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति समिति ने अपने 20वें प्रतिवेदन में इसे औचित्यपूर्ण न पाते हुए पूर्व में ही अस्वीकार किया है। कतिपय मामलों में उत्तर प्रदेश से तुलना के आधार पर वेतन उच्चीकरण किये गये हैं जिसके दृष्टिगत इस सम्बन्ध में राज्य सरकार प्रशासनिक नीति निर्धारण करते हुए ऐसे प्रकरणों पर विभिन्न पहलुओं पर सम्यक परीक्षण कर एवं पड़ने वाले प्रभावों (Implications) को देखते हुए कार्यवाही करने पर विचार कर सकती है।

संवर्ग : विद्युत निरीक्षक

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 12.9.2016 में कहा है कि नगर निगम देहरादून में विद्युत निरीक्षक का पद तकनीकी है एवं इस पद पर कार्यरत कर्मी की शैक्षिक योग्यता एम0ए0, आई0टी0आई0, डिप्लोमा व बीटेक इलेक्ट्रीकल बताते हुए शैक्षिक योग्यता एवं कार्य दायित्व के दृष्टिगत इनका ग्रेड वेतन रू0 2400 से बढ़ाकर 4600 करने की मांग की गई है। यह कहा गया है कि अन्य विभागों में कार्यरत अवर अभियन्ता की शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा है।

विद्युत निरीक्षक के पद की निर्धारित शैक्षिक योग्यता, भर्ती का स्रोत एवं कार्य दायित्व आदि के सम्बन्ध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है, अतः प्रकरण पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि नगर निगम, देहरादून के कार्यालय आदेश दिनांक 10.12.2001 की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई है जिसके अनुसार श्री रणजीत सिंह राणा, सैनेट्री सुपरवाइजर की शैक्षिक योग्यता में इलेक्ट्रीशियन का उल्लेख होना इंगित करते हुए पूर्व में इन्हें इलेक्ट्रीशियन का कार्य करने के आदेश दिये जाने के क्रम में इन्हें प्रकाश निरीक्षक से सम्बन्धित कार्य करने के निर्देश होना स्पष्ट होता है जिससे यह कहा गया है कि इन्हें अपने मूल पद का ही वेतनमान देय होगा।

44–विभिन्न विभाग

संवर्ग : मिनिस्टीरियल संवर्ग

उत्तरांचल फैडरेशन मिनिस्टीरियल सर्विर्सेज एसोसिएशन द्वारा अपने पत्रांक 107/उ0फै0मि0/16 दिनांक 14.07.2016 निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर समिति का ध्यानाकर्षण किया गया :–

1. राज्य में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदोन्नति के 5 स्तर हैं, जिसके कारण कर्मचारियों को संवर्ग के उच्च पदों पर जाने का बहुत कम अवसर प्राप्त होता है, अतः इस संवर्ग के दो पदों का आमेलन किया जाय।
2. मिनिस्टीरियल संवर्ग के भर्ती की शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट की जाय।
3. केंद्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मियों को भी यातायात भत्ता (Transport Allowance) अनुमन्य किया जाय।
4. उपार्जित अवकाश की सीमा 300 दिनों से बढ़ाकर 500 दिन की जाय।
5. राज्य कर्मियों को केंद्रीय कर्मचारियों की भांति दुर्गम क्षेत्र भत्ता (Remote locality allowance) अनुमन्य किया जाय।
6. राज्य कर्मियों को केंद्रीय कर्मचारियों की भांति अवकाश यात्रा सुविधा (L.T.C.) अनुमन्य की जाय।
7. राज्य के सीमान्त जनपदों में पूरे जनपद को सीमान्त विकास भत्ता अनुमन्य किया जाय।
8. मिनिस्टीरियल कर्मियों को अभिलेखों के समुचित अनुरक्षण हेतु अभिलेख अनुरक्षण भत्ता अनुमन्य किया जाय।
9. मकान किराये भत्ते की दरें केंद्रीय कर्मियों की भांति निर्धारित कर अनुमन्य की जाय।
10. पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में महालेखाकार कार्यालय तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य दैनिक भत्ते के अलावा प्रतिदिन एक निर्धारित धनराशि अतिरिक्त दैनिक भत्ते के रूप में अनुमन्य थी, इसे महालेखाकार कार्यालय, देहरादून तथा उच्च न्यायालय, नैनीताल आने वाले कर्मचारियों को भी अनुमन्य किया जाय।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 व 02 के बिन्दु संवर्गीय व्यवस्था से सम्बन्धित हैं जोकि वेतन समिति के कार्य क्षेत्र में नहीं हैं। इस कारण समिति इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझती। बिन्दु संख्या 3 से 10 सम्बन्ध में समिति द्वारा यथा स्थान टिप्पणी की गई है।

संगठन द्वारा अपने पत्र संख्या 112/उ0फै0मि0/16 दिनांक 07.09.2016 द्वारा बिन्दु संख्या 01 में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में इंगित किया गया है एवं कहा है कि शासनादेश संख्या 41/XXVII(7)/सी0भर्ती/2009 दिनांक 13.12.2009 के द्वारा दिनांक 01.01.2006 के पश्चात सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैण्डों में वेतन निर्धारण की व्यवस्था की गई है और शासनादेश संख्या 398/XXVII(7)/2010 दिनांक 20.7.2010 में उक्त शासनादेश की कट ऑफ डेट 17.10..2008 रखी गई व पुनः शासनादेश संख्या 854/XXVII(7)/2011 दिनांक 21.3.2011 द्वारा शासनादेश दिनांक 20.7.2010 के निरस्त कर शासनादेश दिनांक 13.12.2009 को यथावत रखा गया। इस कारण इस शासनादेश का लाभ मात्र नवनियुक्त कर्मचारियों को दिये जाने की व्यवस्था के फलस्वरूप पदोन्नति होने पर वरिष्ठ कर्मचारियों को वित्तीय हानि होना कहा गया है और इस विसंगति को दूर करने की मांग की गई है। यह विषय वेतन विसंगति का नहीं है, अतः उचित होगा कि राज्य सरकार इस पर विचार कर यथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह कहा गया है कि वाहन चालक संवर्ग में 20 वर्ष की सेवा पर रू0 4600 ग्रेड वेतन अनुमन्य है जबकि मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को रू0 4600 ग्रेड वेतन का लाभ 26 वर्ष की सेवा पर मिल रहा है। इस सम्बन्ध में मांग की गई है कि ग्रेड वेतन 4600 व ग्रेड वेतन 4800 का आमेलन कर दिया जाय।यह बिन्दु संवर्गीय व्यवस्था से सम्बन्धित है, अतः समिति द्वारा विचारणीय नहीं है।

संवर्ग : विभिन्न संवर्ग

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्रांक 38/परिषद/2016 दिनांक 13.07.2016 के माध्यम से विभिन्न संवर्गों के वर्ग–2 एवं वर्ग–3 पदधारकों के ग्रेड वेतन उच्चीकरण वेतन विसंगति में सुधार करने की अपेक्षा की गई है। उल्लेखनीय है कि समिति को सन्दर्भित विभिन्न वेतन विसंगति के प्रकरणों के सम्बन्ध में समिति द्वारा टिप्पणी/संस्तुति अन्यत्र यथा स्थान की गई है। परिषद द्वारा विभिन्न संवर्गों में ए0सी0पी0 के अंतर्गत पदोन्नति वेतनक्रम मिलने पर अनुमन्य ग्रेड वेतन के सापेक्ष फिटमेन्ट तालिका में वेतन निर्धारण नहीं किये जाने के कारण वरिष्ठ व कनिष्ठ कार्मिकों में वेतन निर्धारण में विसंगति आने की स्थिति भी इंगित की है। **उल्लेखनीय है कि यह प्रकरण वेतन विसंगति का न होकर वेतन निर्धारण का है जो समिति के 'संदर्भ की शर्तों' अनुसार वेतन समिति के कार्य क्षेत्र में नहीं है।**

45–महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

संवर्ग : अन्वेष्क

वित्त विभाग के पत्र संख्या 211/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 16 सितम्बर, 2016 के क्रमांक 6 पर आई0सी0डी0एस0 निदेशालय के अन्वेषक पद वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400 को उच्चीकृत कर वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 किये जाने का प्रस्ताव संदर्भित किया गया है। प्रस्ताव के साथ श्री धनंजय नौटियाल, सांख्यकीय सहायक, निदेशालय, आईसीडीएस, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शासन को प्रेषित पत्र दिनांक 12.09.2016 की प्रति समिति को उपलब्ध कराई गई है जिसमें इंगित किया गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग में सांख्यकीय संवर्ग के कार्मिकों को अन्य विभागों में कार्यरत सांख्यकीय संवर्ग के कार्मिकों से कम वेतनमान और ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है। यह इंगित किया गया है कि विभाग के अन्वेषक कम संगणक का दिनांक 01.01.2006 से पूर्व वेतनमान 4000–6000 निर्धारित था और दिनांक 01.01.2006 से वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400 एवं अन्वेषक कम संगणक से सांख्यकीय सहायक के पदोन्नति पद को रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 अनुमन्य किया गया है। यह भी कहा है कि महिला एवं बाल विकास विभाग में सांख्यकीय संवर्ग के वेतनमान 01.04.2001 से पुनरीक्षित नहीं किये गये हैं। साथ ही यह भी कहा है कि शासनादेश संख्या 874 दिनांक 08.03.2011 अनुसार सांख्यकीय संवर्ग के प्रथम स्तर पर अन्वेषक कम संगणक का वेतनमान 5000–8000 व सांख्यकीय सहायक वेतनमान 5500–9000 दिनांक 01.04.2001 से अनुमन्य किया गया है। ऐसा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पर्यटन विभाग, पशुपालन विभाग आदि में लागू होने का भी उल्लेख किया गया है। यह और कहा है कि दिनांक 01.01.1996 से लागू वेतनमान के अनुसार रू0 4000–6000 के पदों को छोड़कर रू0 5000–8000 वेतनमान वाले पदों का पुनर्गठन ही किया गया है।

प्रकरण के सम्बन्ध में वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश दिनांक 874/XXVII(7)व0प्रति0/2011 दिनांक 08 मार्च, 2011 की व्यवस्था अनुसार अन्वेषक कम संगणक वेतनमान रू0 5000–8000 व सांख्यकीय सहायक वेतनमान रू0 5500–9000 दिनांक 01.4.2001 से अनुमन्य होने का उल्लेख करते हुए जिन विभागों में सांख्यकीय संवर्ग पूर्व से गठित है और दिनांक 01.04.2001 से वेतनमान पुनरीक्षित नहीं किये गये हैं उनमें सांख्यकीय संवर्ग में उपलब्ध द्विस्तरीय ढांचे की व्यवस्था यथावत बनाए रखने और अधीनस्थ सांख्यकीय संवर्ग के प्रथम स्तर के पद पर दिनांक 01.01.2006 से अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 को यथावत रखने तथा दूसरे स्तर के पदों पर वर्तमान वेतनमान 5500–9000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2 में ग्रेड वेतन रू0 4600 अनुमन्य किया गया है।

प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार बजट साहित्य 2016–17 के खण्ड–6 में इंगित पदों के विवरण में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में अराजपत्रित श्रेणी में सांख्यकीय सहायक का अस्थाई पद वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 में स्वीकृत दर्शाया गया है तथा सभी पद रिक्त इंगित हैं। संगणक पद वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400 में इंगित हैं जिसमें 11 पद सृजित व 09 पद रिक्त इंगित हैं। सेवा नियमावली आदि अन्य विवरण/अभिलेख उपलब्ध नहीं है तथा राज्य सरकार का मन्तव्य भी उपलब्ध नहीं है।

सन्दर्भित इस प्रकरण में 2001 से वेतनमान पुरीक्षित न होने का उल्लेख किया गया है। साथ ही सम्पूर्ण विवरण/अभिलेख भी उपलब्ध नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि वेतन उच्चीकरण के सम्बन्ध में अन्य संवर्गों से तुलना मान्य नहीं है। यदि प्रकरण शासनादेश संख्या 874/XXVII(7)न0प्रति0/2011 दिनांक 08 मार्च, 2011 अंतर्गत आच्छादित होता है, जैसा कि इंगित किया गया है, तो राज्य सरकार के स्तर पर सभी पहलुओं पर सम्यक परीक्षणोपरान्त यथोचित निस्तारण किया जा सकता है।

संवर्ग : मुख्य सेविका (समूह 'ग')

सुपरवाइजर्स एसोसिएशन आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड द्वारा मुख्य सेविका वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 को उच्चीकृत कर वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 किये जाने की मांग की गई है। वेतनमान उच्चीकरण की मांग अन्य संवर्गों से तुलना के आधार पर की गई है। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण वित्त विभाग के पत्र संख्या 198/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 07 सितम्बर, 2016 द्वारा भी संदर्भित किया गया है। प्रकरण के सम्बन्ध में मांग के आधार हेतु निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराया गया है–

पदनाम	शैक्षिक योग्यता	तृतीय वेतन आयोग में वेतन	चतुर्थ वेतन आयोग में वेतन	पंचम वेतन आयोग में वेतन	छठे वेतन आयोग में वेतन
मुख्य सेविका	स्नातक	470–735	1350–2200	4500–7000	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800
सुपरवाइजर कानूनगो	इण्टरमीडिएट	470–735	1400–2300	4500–7000	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200
फार्मेसिस्ट	फार्मेसी डिप्लोमा	400–615	1350–2200	4500–7000	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200
वरिष्ठ लिपिक	इण्टरमीडिएट	430–685	1200–2040	4000–6000	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800
पशुधन प्रसार	इण्टरमीडिएट दो	400–615	1200–2400	4000–7000	9300–34800

निरीक्षक	वर्षीय डिप्लोमा				ग्रेड वेतन 4200
अन्वेषक कम संगणक	स्नातक गणित/सांख्यिकी	400–615	1400–2300	4500–7000	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200
अर्थ एवं संख्याधिकारी	स्नातक गणित/सांख्यिकी	400–615	1400–2300	4500–7000	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400
डिप्टी रेंजर	इण्टरमीडिएट	400–615	1400–2300	4500–7000	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200
संख्या सहायक	स्नातक गणित/सांख्यिकी	400–615	1400–2300	4500–7000	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200

प्रकरण के सम्बन्ध में अवलोकनीय है कि पंचम वेतन आयोग के अंतर्गत मुख्य सेविका पद का वेतनमान 4500–7000 था जिसका संशोधन छठे वेतन आयोग में 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 हुआ है जोकि उचित है। समता समिति की संस्तुतियां लागू होने के उपरान्त एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना का सिद्धान्त मान्य नहीं है। प्रकरण विसंगति का न होकर वेतनमान उच्चीकरण के सम्बन्ध में है जो समिति के विचार क्षेत्र में नहीं है।

46–गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग

संवर्ग : गन्ना विकास निरीक्षक/ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक वर्ग–1

उत्तराखण्ड गन्ना पर्यवेक्षक संघ द्वारा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक वर्ग–1 एवं गन्ना विकास निरीक्षक वर्ग–2 की वेतन विसंगति दूर करने हेतु प्रत्यावेदन दिया है जिसमें कहा गया है कि ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक का अधीनस्थ पद कनिष्ठ अभियन्ता है जिसका ग्रेड वेतन रू0 4600 में उच्चीकृत किया जा चुका है। साथ ही कहा है कि ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं गन्ना विकास निरीक्षक का ग्रेड वेतन उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 2620सी0डी0/46–3–14–15(13)2006 दिनांक 12.11.2014 द्वारा क्रमशः 4200 से 4600 में एवं 2800 से 4200 में उच्चीकृत किया जा चुका है तथा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के समतुल्य पद अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1, सहकारिता निरीक्षक वर्ग–1, वरिष्ठ विपणन निरीक्षक वर्ग–1 एवं ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक वर्ग–1 के पद समतुल्य हैं। इन पदों का तृतीय वेतन आयोग से पंचम वेतन आयोग तक वेतनमान समान रहने का उल्लेख करते हुए कहा है कि ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं गन्ना विकास निरीक्षक को छोड़कर उपरोक्त समान संवर्ग के समतुल्य पदों का ग्रेड वेतन उत्तराखण्ड राज्य में क्रमशः 4200 से 4600 एवं 2800 से 4200 में उच्चीकृत कर दिया जाना कहा है। तदानुसार ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक का ग्रेड वेतन 4200 से 4600 एवं गन्ना विकास निरीक्षक का ग्रेड वेतन 2800 से 4200 करने की मांग की गई है। उपलब्ध कराई गई उत्तराखण्ड अधीनस्थ गन्ना (समूह एक व समूह दो सामान्य) सेवा नियमावली, 2013 की छायाप्रति अनुसार ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के 50 प्रतिशत पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम सीधी भर्ती व 50 प्रतिशत पद गन्ना विकास निरीक्षक पद से आयोग के माध्यम प्रोन्नति से भर्ती करने की व्यवस्था है। गन्ना विकास निरीक्षक के 50 प्रतिशत पदों पर भी आयोग के माध्यम सीधी भर्ती व 50 प्रतिशत पदों पर आयोग के माध्यम से गन्ना पर्यवेक्षक पद से प्रोन्नति की व्यवस्था है। दोनों पदों की शैक्षिक अर्हता कृषि स्नातक है।

वेतन समिति के समक्ष विभिन्न संवर्गों का तुलनात्मक विवरण भी निम्नवत प्रस्तुत किया गया है:–

पदनाम/योग्यता	तृतीय वेतन आयोग के वेतनमान	चतुर्थ वेतन आयोग के वेतनमान	पंचम वेतन आायेग के वेतनमान	षष्ठम वेतन आयोग के वेतनमान	संशोधित वेतनमान/अभ्युक्ति
ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक वर्ग–1/ कृषि स्नातक	570–1070	1400–2300	5000–8000	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	उ0प्र0 राज्य में 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600
अधीनस्थ कृषि	570–1070	1400–2300	5000–8000	9300–34800	शासनादेश दिनांक

सेवा वर्ग–1/ कृषि स्नातक				ग्रेड वेतन 4600	02.11.2007
सहकारिता निरीक्षक वर्ग–1/स्नातक	570–1070	1400–2300	5000–8000	9300–34800 ग्रेड वेतन 4600	शासनादेश दिनांक 08.11.2007
वरिष्ठ विपणन निरीक्षक वर्ग–1/ स्नातक	570–1070	1400–2300	5000–8000	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 (शासनादेश दिनांक 24.04.2015
ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक वर्ग–1	570–1070	1400–2300	5000–8000	9300–34800 ग्रेड वेतन 4600	
गन्ना विकास निरीक्षक वर्ग–2/कृषि स्नातक	470–735	1350–2200	4500–7000	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	उ0प्र0 राज्य में 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200
विपणन निरीक्षक वर्ग–2/स्नातक	470–735	1350–2200	4500–7000	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 शासनादेश दिनांक 24.04.2015
राजस्व निरीक्षक वर्ग–2	400–615	1200–2040	4500–7000	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 शासनादेश दिनांक 19.03.2014

प्रस्तुत प्रकरण वेतन विसंगति का न होकर वेतन उच्चीकरण की मांग का है। राज्य सरकार में अन्य संवर्गो से तुलना का सिद्धान्त मान्य नहीं है जिस कारण अन्य सवंर्गो के वेतन उच्चीकृत कर दिये जाने के आधार पर यद्यपि इन दोनों पदों के वेतन उच्चीकरण का आधार मान्य नहीं है एवं अन्य राज्यों से भी वेतन की तुलना का सिद्धान्त मान्य नहीं है, तथापि समिति के संज्ञान में आया है कि उत्तराखण्ड में भी कतिपय मामलों में उत्तर प्रदेश के आधार पर वेतन उच्चीकृत किये गये हैं। अतः राज्य सरकार इस प्रकरण पर भी प्रशासनिक नीतिगत निर्णय लेते हुए विभिन्न समस्त पहलुओं व पड़ने वाले प्रभावों (Implications) का सम्यक परीक्षण करके यथोचित विचार कर सकती है।

47–औद्योगिक विकास विभाग

संवर्ग : राजकीय मुद्राणालय, रूड़की

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 से प्रस्तुत एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या 185/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 26 अगस्त, 2016 द्वारा संदर्भित इस प्रकरण में सहायक निदेशक (मुद्रण) राजकीय मुद्राणालय, रूड़की का ग्रेड वेतन रू0 4200 से रू0 4800 में उच्चीकृत करने की अपेक्षा की गई है। यह कहा गया है कि सहायक निदेशक (मुद्रण) पद का वेतनमान 6500–10500 का पुनरीक्षित वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 हुआ है। उ0प्र0 राज्य में मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद में सहायक निदेशक, मुद्रण के ग्रेड वेतन 4600 को उच्चीकृत कर 4800 शासनादेश दिनांक 23.1.2012 द्वारा किया गया है। इसके आधार पर उत्तराखण्ड में भी ग्रेड वेतन 4200 से 4800 करने की अपेक्षा की गई है।

अवलोकनीय है कि समता समिति की संस्तुतियों के क्रम में दूसरे राज्य से संवर्ग/पद के वेतन की तुलना का सिद्धान्त मान्य नहीं है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड द्वारा भी अपने पत्र संख्या 200, दिनांक 14 सितम्बर, 2016 में सुस्पष्ट इंगित किया है। समिति द्वारा परीक्षणोपरांत यह पाया गया कि कदाचित राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही पुराने वेतनमान 6500–10500 के लिए ग्रेड पे 4600 अनुमन्य किया गया है। उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के शासनादेश अनुसार 6500–10500 वेतनमान वाले पदों को ग्रेड वेतन 4600 का किये जाने के दिशा–निर्देश हुए है, जिस आधार पर शासन स्तर पर इस पद के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकती है।

नगर निगम

संवर्ग : आयुर्वेदिक चिकित्सक (वैद्य)

वित्त विभाग के पत्र संख्या 164/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 02 अगस्त, 2016 के क्रमांक 6 के माध्यम उत्तराखण्ड पालिका आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा अंतर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सक (वैद्य) का वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400 को उच्चीकृत कर वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800 किये जाने का प्रकरण संदिर्भत किया गया है। इसके सम्बन्ध में यह तर्क दिया जा रहा है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक (वैद्य) श्रेणी–3 को उनके अधीनस्थ फार्मासिस्ट से भी कम वेतन प्राप्त हो रहा है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित एक पदधारक के स्तर से यह सूचना दी है कि वर्ष 1986 से नगर निगम/महापालिका के आयुर्वेदिक चिकित्सक (वैद्य) श्रेणी–1, श्रेणी–2 व श्रेणी–3 का विवरण निम्नवत् था–

श्रेणी–1	2000–3000 (1600–2680)
श्रेणी–2	1400–2600
श्रेणी–3	1200–1800

यह भी सूचित किया है कि वर्ष 1995 में समता समिति के शासनादेश जिसे उत्तराखण्ड शासन द्वारा 2004 में लागू किया गया, से श्रेणी–1 व श्रेणी–2 के चिकित्सकों का वेतनमान 2200–4000 में उच्चीकृत हो गया और अग्रेतर 1996 व 2006 से इनका वेतन क्रमशः 8000–13500 व 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 हो गया जबकि श्रेणी–3 का वेतन 1996 से 4000–6000 व 2006 से 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400 रहा। आयुर्वेदिक चिकित्सक (वैद्य) श्रेणी–1, श्रेणी–2 व श्रेणी–3 की अर्हताएं आयुर्वेद में डिग्री होने एवं अनुभव क्रमशः श्रेणी–1 में 10 वर्ष, श्रेणी–2 में 5 वर्ष व श्रेणी–3 में कोई अनुभव अवधि नहीं है। अधीनस्थ फार्मासिस्ट–2 (कम्पाउण्डर) का वर्ष 2010 में वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 होने और इस प्रकार अधीनस्थ का वेतनमान अधिक होने की विसंगति होना इंगित किया है। आवास/शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या 604 श0वि0–आ90–2003–208(श0वि0)/2002 दिनांक 04 फरवरी, 2004 की उपलब्ध कराई गई छायाप्रति अनुसार उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 5202/नौ–4–94–21जनरल/91 दिनांक 17 जनवरी, 1995 के क्रम में पालिका चिकित्सा और जन स्वास्थ्य सेवा' के पदनाम एलोपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड–2, होम्योपैथिक चिकित्सक ग्रेड–1 वेतनमान 2000–3200, वैद्य और हकीम ग्रेड–1 वेतनमान 2000–3200 व 1600–2600 को दिनांक 7.11.1994 से उच्चीकृत वेतनमान 2200–4000 दिये जाने के क्रम में उत्तराखण्ड में भी तदानुसार वेतनमान अनुमन्य करने के निर्देश दिये गये हैं। शासनादेश संख्या 1041/IV(1)/2010–01(135)/2007 की उपलब्ध कराई गई छायाप्रति अनुसार नगर निगम/नगर निकायों के कम्पाउण्डर/फार्मासिस्ट पदों को मृत संवर्ग घोषित करते हुए राजकीय फार्मासिस्टों के समान वेतनमान 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतनबैण्ड 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800) अनुमन्य किया गया है।

उल्लेखनीय है कि समता समिति की संस्तुतियां लागू होने के दृष्टिगत एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना का सिद्धान्त मान्य नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1995 में केवल श्रेणी–1 व श्रेणी–2 के वेतनमान ही उच्चीकृत क्यों किये गये तथा श्रेणी–3 का वेतन उच्चीकरण क्यों नहीं किया गया यह स्पष्ट नहीं किया गया है। अधीनस्थ कम्पाउण्डर/फार्मासिस्ट पद का वेतनमान उच्च होने की स्थिति ध्यान देने योग्य है। यह विसंगति का प्रकरण न होकर वेतनमान उच्चीकरण का प्रकरण है और अधीनस्थ व न्यून पद का वेतनमान अधिक होने के दृष्टिगत वेतन उच्चीकरण का औचित्य विचारणीय है। इस सम्बन्ध में सभी समस्त विवरण सहित सभी पहलुओं का परीक्षण करते हुए यथोचित स्तर पर वेतन उच्चीकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है। साथ ही समिति का मत है कि नगर निकाय के इन विशिष्ट पदों को अग्रेतर मृत संवर्ग घोषित करने अथवा इन्हें प्रतिनियुक्ति से भरे जाने पर भी विचार किया जाय।

उपसंहार

विभिन्न सेवा संघों व शासन से प्राप्त विद्यमान वेतनमान आदि से सम्बन्धित प्रकरणों पर विभिन्न पक्षों से विचार विमर्श के मध्य कतिपय बिन्दु समिति के संज्ञान में आये हैं जो निम्न प्रकार हैं:–

(अ) बड़ी संख्या में ऐसे प्रकरण हैं जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा वेतनमान उच्चीकरण अथवा संवर्गीय व्यवस्था में परिवर्तन किये जाने का आधार लेते हुए उत्तराखण्ड राज्य में भी इसी प्रकार की व्यवस्था किये जाने का अनुरोध किया गया था। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा समिति को अवगत कराया गया था कि केंद्र सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य सरकार से तुलना का कोई सिद्धान्त राज्य में प्रतिपादित नहीं है तथापि कुछ प्रकरणों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार से तुलना के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिये गये हैं। उत्तराखण्ड राज्य के गठन को 16 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। **समिति का मत है कि केन्द्र सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य सरकार से तुलना मान्य नहीं है। उचित होगा कि राज्य सरकार पुनर्गठन अधिनियम के आलोक में परीक्षण कर इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति निर्धारित कर ले ताकि अनावश्यक विवाद उत्पन्न न हों।**

(ब) समिति ने पाया कि राज्य सरकार द्वारा कतिपय संवर्गों में कुछ वेतनमानों को समय–समय पर उच्चीकृत किया गया है जिस कारण अन्य संवर्गों की पारस्परिक समानता प्रभावित हुई है। स्पष्टतः यह प्रकरण वेतनमान उच्चीकरण से सम्बन्धित हैं एवं इन पर निर्णय राज्य सरकार द्वारा ही लिया जाना होगा। समिति का मत है कि वेतनमान निर्धारण राज्य सरकार का विशेषाधिकार है इस कारण समिति इन प्रकरणों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। **समिति की संस्तुति है कि किसी संवर्ग विशेष का वेतनमान उच्चीकरण करते समय राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के उच्चीकरण से अन्य संवर्गों की पारस्परिक समानता पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों का आंकलन भी भली–भांति कर लेना चाहिए क्योंकि अन्य संवर्गों के कार्मिकों द्वारा भी इसी प्रकार के वेतनमान उच्चीकरण की मॉग किये जाने का अवसर उत्पन्न होता है।**

(स) कतिपय विशिष्ट संवर्गों में, अन्य संवर्गों यथा लिपिकीय संवर्ग, आशुलिपिक संवर्ग आदि से प्रोन्नति की व्यवस्था रखी गई है। कदाचित यह व्यवस्था इन पोषक संवर्गों में प्रोन्नति के पर्याप्त अवसर न होने के कारण रखी गई होगी। वर्तमान में पोषक संवर्गों में प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन की पर्याप्त व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट संवर्गों के कार्य विशेष प्रकार के हैं जिसे करने का पोषक संवर्गों के कार्मिक को कोई अनुभव नहीं होने के कारण कार्य की गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। कई मामलों में पोषक संवर्ग की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी इन विशिष्ट संवर्गों हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता से कम है। **अतः समिति का मत है कि विशिष्ट संवर्गों में अन्य संवर्गों यथा लिपिकीय संवर्ग, आशुलिपिक संवर्ग आदि से प्रोन्नति की व्यवस्था रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है एवं इस प्रकार की व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए।**

कई अवसरों पर समिति द्वारा आहूत बैठकों में शासन/विभाग के सक्षम स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया। कई बार प्रतिभाग करने वाले प्रतिनिधि समिति को वांछित सूचना भी नहीं दे सके। समिति द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास करने के उपरान्त भी कतिपय सूचनाएं अनुपलब्ध रहीं। समिति का स्पष्ट मत है कि भविष्य में विसंगति के प्रकरणों पर राज्य सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जाना उचित है क्योंकि उस स्तर पर सभी सूचनाएं सुलभ रहती हैं।

(इन्दु कुमार पाण्डे)
अध्यक्ष।

(डा0 एम0सी0जोशी)
सदस्य

(शरद चन्द्र पाण्डे)
सदस्य

(रमेश चन्द्र अग्रवाल)
सदस्य

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
सदस्य सचिव।

16 दिसम्बर, 2016